भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्‍चतर‍ शिक्षा विभाग

**राज्‍य सभा**

तारांकित प्रश्‍न संख्या : **287**

उत्तर देने की तारीख : 28 जुलाई, 2014

**दिल्ली विश्वविद्यालय में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शिक्षकों के रिक्त पदों को भरा जाना**

**\*287. डा॰ भालचन्द्र मुणगेकरः**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए आरक्षित सहायक प्रोफेसर, सह-प्रोफेसर और प्रोफेसर स्तर के कितने पद नहीं भरे गये हैं;

(ख) इन बकाया रिक्त पदों को न भरे जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन पदों पर कब तक नियुक्तियां कर दी जाएंगी?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्री**

**(श्रीमती स्‍मृति ज़ूबिन इरानी)**

(क) से (ग): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

**“दिल्ली विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के संकाय के रिक्त पदों को भरने” के संबंध में डा. भालचन्द्र मुणगेकर, माननीय संसद सदस्‍य द्वारा दिनांक 28.07.2014 को पूछे जाने वाले राज्‍य सभा तारांकित प्रश्‍न सं. 287 के भाग (क) से (ग) के उत्‍तर में संदर्भित विवरण।**

(क): दिल्ली विश्वविद्यालय ने 30.06.2014 की स्थिति के अनुसार वर्गवार रिक्त शिक्षण पदों के निम्नलिखित ब्यौरे सूचित किए हैं:-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| क्रम संख्या | पद का नाम | संस्वीकृत संख्या (कुल) | वर्तमान संख्या (कुल) | संस्वीकृत संख्या | भरे गए पद  | रिक्त पद |
| अ.ज | अ.ज.ज | अ.ज | अ.ज.ज | अ.ज | अ.ज.ज |
| 1 | प्रोफेसर | 264 | 119 | 39 | 19 | 01 | 00 | 38 | 19 |
| 2 | एसोसिएट प्रोफेसर | 648 | 264 | 87 | 48 | 05 | 01 | 82 | 47 |
| 3 | सहायक प्रोफेसर | 794 | 413 | 119 | 59 | 53 | 20 | 66 | 39 |
|  | **कुल** | **1706** | **796** | **245** | **126** | **59** | **21** | **186** | **105** |

(ख): विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि इसने वर्ष 2012 और 2013 में कुल 177 रिक्तियां अनुसूचित जाति वर्ग में और 87 रिक्तियां अनुसूचित जनजाति वर्ग में विज्ञापित की भी परन्तु वर्ष 2012 में विज्ञापित रिक्तियों के लिए भर्ती प्रक्रिया को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका।

(ग): विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि रिक्त पदों को भरना एक सतत प्रक्रिया है जिसके लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं दी जा सकती है।

\*\*\*\*\*